भंवरलाल v/s छोगाराम 07/19

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना के संक्षिप्त नोट
21.9.20	पक्षकारान उप० वकील वादी द्वारा वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर जो०मि० किया गया। पत्रावली कायम नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी **राजस्व वाद संख्या 07/2019**

भंवरलाल गोदपुत्र झूमरराम
कौम–जाट निवासी धाटियाद तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छोगाराम पुत्र भेराराम
2. रामचन्द्र पुत्र भेराराम
3. हरनाथ पुत्र भेराराम
4. धापूदेवी पुत्री भेराराम
5. कानीदेवी पुत्री भेराराम
6. जीवणराम पुत्र ज्यानीदेवी
7. आईदानराम पुत्र ज्यानीदेवी
8. हीरादेवी पुत्री ज्यानीदेवी
   जातियान–जाट, निवासी–धाटियाद, तहसील–जायल, जिला–नागौर
9. मैनेजर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जायल
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन, अधीन धारा 53, 88 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता : –

1. वादी की ओर से बस्तीराम ढाका, एडवोकेट
1. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री एस.एस.कालवी एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित।

दिनांक : 21/09/2020

– : : निर्णय : : –

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वंशावली दर्शाते हुये पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बडेर की भूमि ग्राम धाटियाद तहसील जायल में खसरा नं. 118/331, 246, 247, 248, 254 के रूप में आई हुई है। वशांवली में दर्शाये अनुसार झूमरराम शादीसुदा नहीं था। उसने अपने जीवनकाल में जब वादी छोटा जव ही गोद ले लिया था। वादी ही झूमरराम की सेवा चाकरी करता तथा झूमरराम के साथ ही अपने हिस्से (झूमरराम) की भूमि में खेतीबाड़ी करता रहा है। दिनांक 09.03.2018 को स्व. झूमरराम ने वादी को गोदपुत्र की लिखा पढ़ी 500/– रू. के स्टाम्प पर कर दी तथा

सहायक कलक्टर
(उ. खं. अ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

दिनांक 20.05.2018 को झूमरराम की बीमार होने के कारण मृत्यु हो गई जिसके पश्चात उनके क्रियाक्रम की कार्यवाही वादी द्वारा ही गई।

स्व. झूमरराम के एक मात्र उत्तराधिकारी वादी ही है। मुतदाविया खेताय की भूमि में स्व. भेराराम के विधिक वारिसान में से झूमरराम का वादी ही गोदपुत्र होने पर भी मुतदाविया खेताय की भूमि में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्व. भेराराम के विधिक उतराधिकारियों का पक्षकार बनाया गया है तथा वाद को पैरा संख्या 8क के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने की इस्तदुआ वकील वादी द्वारा की गई।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की और से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जबाव दावा पेश कर वादपत्र में वर्णित पैराज से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 9 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 10 ने जवाब पेश करने से इन्कार किया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के निवेदन पर तनकीयात कायम नहीं की गई तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र जीवणराम, कानीदेवी हरनाथ, रामचन्द्र, भंवरलाल के पेश किये, जिनपर बयानात् कलमबद्ध किये गये तथा तस्दीक किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी ग्राम धाटियाद सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 41/37 प्रदर्श–1 तथा 500/– स्टाम्प पर अपंजीकृत लिखित मूल गोदनामा प्रदर्श–2 व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति झूमरराम प्रदर्श–3, ग्राम पंचायत राजोद से जारी उतराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–4 की। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने तथा पत्रावली में बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्यवादी बन्द की गई तथा मिसल वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत से जारी उतराधिकार प्रमाण पत्र पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब पर मनन किया गया। घोषणा खातेदारी एवं बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी में अंकित खातेदारान का बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादी मृतक झूमरराम का गोद पुत्र है। तथा वह झूमरराम की मृत्यु के पश्चात् स्व. भेराराम के अन्य वारिसान के साथ सहखातेदार होकर विभाजन करवानें का हकदार है साथ ही माफिक वाद अनुसार डिक्री प्राप्त

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

करने के अधिकारी है। 500/– स्टाम्प पर हस्तलिखित अपंजीकृत गोदनामा प्रदर्श 2 के अवलोकन से वादी मृतक झूमरराम का गोदपुत्र होना स्पष्ट है। साथ ही वादग्रस्त भूमि पक्षकारो की पुश्तैनी होना नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, से साबित है। परन्तु विवादग्रस्त खेताय के विभाजन को साबित करने के लिए उक्त साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वादी ने संपूर्ण भूमि में अपना 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/4 – 1/4 पृथक–पृथक हिस्सा घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही गई है।

अतः वादी का वाद बाबत् ग्राम धाटियाद तहसील जायल जिला–नागौर के खसरा नं. 118/331 रकबा 32 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नं. 247 रकबा 41.07 बीघा, खसरा नं. 248 रकबा 12.16 बीघा, खसरा नं. 254 रकबा 27 बीघा की भूमि में घोषणा खातेदारी बाबत् स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा वादी भंवरलाल को मौजा धाटियाद तहसील जायल जिला–नागौर के खसरा नं. 118/331 रकबा 32 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नं. 247 रकबा 41.07 बीघा, खसरा नं. 248 रकबा 12.16 बीघा, खसरा नं. 254 रकबा 27 बीघा की भूमि में वादी को झूमरराम के हिस्से तक खातेदार घोषित किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। तदनुसार तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21/09/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

21/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (रा.प्रा.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद सं. 07 / 2019
भंवदलाल बनाम छोगाराम वगैरह

डिकी बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर
बइजलास श्री रवीन्द्र कुमार (आर०ए०एस०)

वादी

राजस्व वाद संख्या 07/2019

भंवरलाल गोदपुत्र झूमरराम
कौम–जाट निवासी धाटियाद तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छोगाराम पुत्र भेराराम
2. रामचन्द्र पुत्र भेराराम
3. हरनाथ पुत्र भेराराम
4. धापूदेवी पुत्री भेराराम
5. कानीदेवी पुत्री भेराराम
6. जीवणराम पुत्र ज्यानीदेवी
7. आईदानराम पुत्र ज्यानीदेवी
8. हीरादेवी पुत्री ज्यानीदेवी जातियान–जाट, निवासी–धाटियाद, तहसील–जायल (नागौर)
9. मैनेजर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जायल
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन, अधीन धारा 53, 88 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता : : –

वादी की ओर से बस्तीराम ढाका, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री एस.एस.कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

वादी भंवरलाल को मौजा धाटियाद तहसील जायल जिला–नागौर के खसरा नं. 118/331 रकबा 32 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नं. 247 रकबा 41.07 बीघा, खसरा नं. 248 रकबा 12.16 बीघा, खसरा नं. 254 रकबा 27 बीघा की भूमि में वादी भंवरलाल को झूमरराम के हिस्से तक खातेदार घोषित किया जाता है।

आज की तारीख लीज – मुवलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21/09/2020 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद सं. 07 / 2019
भंवरलाल बनाम छोगाराम वगैरह

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी नर		
फीस कमी नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

सहायक कलक्टर (सि.डी.ओ.), जायल

(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल